रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 449] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 1992/कार्तिक 20, 1914
No 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1992/KARTIKA 20, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1992

सा.का.नि. 861 (अ) : —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सीमा शुल्क कलक्टर, विशाखापत्तन

मद्रास पत्तन में खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेट (एम एम टी सी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-92 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में निम्न-लिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19 के सामने "महाप्रबन्धक खनिज एवं धातु व्यापार निगम, मद्रास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं.–पीटी–18011/7/91–पीटी]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1992

G.S.R. 860(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Chief General Manager, MMTC, Madras as a Trustee on the Port of Madras to represent The Minerals and Metals Trading Corporation Limited (MMTC) and makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. GSR 388(E) dt. 31-3-92, namely :—

In the said notification against serial no. 19 for the words "General Manager, Minerals & Metals Training Corporation" the words "Chief General Manager, MMTC, Madras" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/7/91-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992